पत्रांक–2ब०/मु०श०ना०ग०यो०–30–01/2016 2090 न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 24.3.16

विषय :– **"मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में शहरी क्षेत्रों में हर नाली–गली का पक्कीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत है :–

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क–विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सभी गाँव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाएगा।"

2. राज्य सरकार द्वारा इस निश्चय की प्राप्ति के लिए "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 1288 दिनांक 25.02.2016 की प्रति संलग्न है।

3. **शहरी स्थानीय निकायों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नवत अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय** :–

(i) प्रत्येक घर पक्की सड़क एवं नाली से जुड़े, इसके लिए सभी वार्डों में अवस्थित कच्ची गलियों को चिन्हित करके, सूचीबद्ध किया जाय। इस प्रक्रिया में चिन्हित किये जाने वाले गलियों में पी०सी०सी० इंटरलॉकिंग टाईल्स पथ का निर्माण किया जाना है। जिन गलियों की चौड़ाई 06 फीट से कम हो, उनमें यथासंभव इंटरलॉकिंग टाईल्स पथ ही बनाये जाय। जिन गलियों का पी०सी०सी० किया

जाना है, उसमें पथ के साथ नाली का भी प्रावधान किया जाय, बशर्ते पूर्व से नाली नहीं हो।

(ii) **वार्ड स्तर पर वार्डसभा की बैठक आयोजित करके निम्न प्रपत्र में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गलियों की सूची का अनुमोदन वार्डसभा से कराया जाय। वार्डसभा में लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची बनायी जाय** :–

वार्ड सं० .... **वार्डसभा की तिथि ....**

क्र० सं०	गली का नाम	लंबाई (फीट में)	चौड़ाई (फीट में)	निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित पी०सी०सी० का सतही क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रस्तावित नाले की लंबाई	सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत	भूमि की उपलब्धता का विवरण	लाभान्वित होने वाले घरों की सं०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(iii) इस कार्य हेतु माह अप्रैल के प्रथम पखवारे में वार्डस्तरीय आम सभा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय, जो वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होगी। उसमें नगर निकाय के एक प्रतिनिधि को भी अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त किया जाय। वार्ड सभा की बैठक में ही उक्त प्रपत्र में विवरण तैयार किया जाएगा, जिसके अंत में निम्न आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाएगा :–

"प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड में अवस्थित प्रत्येक घर उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से पक्की सड़क से जुड़ जाएगा।

....

नगर निकाय कर्मी का हस्ताक्षर *वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर "*

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस क्रम में मात्र वैसी ही गली–नाली का चयन किया जाना है, जो वर्तमान में कच्ची है तथा निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि उपलब्ध है। पूर्व से इन पथों में Bituminous/PCC के रूप में कभी भी निर्माण नहीं किया गया हो।

5. दिनांक 15 अप्रैल तक सभी वार्डो की वार्डसभा द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की जाय। तदोपरांत नगर निकाय स्तर पर समेकित प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इस समेकित सूची में हर वार्ड की प्राथमिकता क्रम में एक–एक योजना समावेशित करें, तदोपरांत हर वार्ड की अगली प्राथमिकता क्रम की दूसरीयोजना शामिल करें एवं ये प्रक्रिया अनवरत जारी रखें। ऐसा करने से हर वार्ड की योजनाएं समावेशित हो पाएगी। यह प्राथमिकता सूची दिनांक 30 अप्रैल तक बोर्ड द्वारा पारित करके, नगर निकाय की वेबसाईट पर अपलोड कर दी जाएगी तथा एक पुस्तिका एवं सी०डी० के

रूप में नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी, जिसका शीर्षक "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना की दीर्घकालीन कार्य योजना" होगा। इस योजना से ही भविष्य में निधि की उपलब्धता के आधार पर योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन निर्धारित प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा।

6. **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना की दीर्घकालीन कार्य योजना का सार निम्न प्रपत्र में इस पुस्तिका में समावेशित किया जाएगा** :–

क्र० सं०	वार्ड सं०	वार्ड सभा द्वारा चिन्हित कुल गलियों की सं०	कुल लंबाई (फीट में)	कुल सतही क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	कुल अनुमानित लागत	लाभान्वित होने वाले कुल परिवारों की सं०	वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वार्ड के कुल परिवारों की सं०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

"प्रमाणित किया जाता है कि यह सार वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्डसभा आयोजित करके वार्डसभा से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर नगर निकाय बोर्ड द्वारा पारित की गयी कार्य योजना के आधार पर है।

हर घर तक पक्का पहुँच पथ/नाली निर्माण के लिए नगर निकाय कृतसंकल्प है। नगर निकाय कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी एवं जनसाधारण के लिए इस योजना के बारे में व्यापक जानकारी सुनिश्चित करेगी।

....

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर *मुख्य पार्षद का हस्ताक्षर "*

7. शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस योजना का अलग खाता खोला जाएगा। इस खाते में पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का न्यनूतम 20 प्रतिशत राशि, इस योजना के लिए कर्णांकित करके रखा जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना के आधार पर राज्य योजना से अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

8. संबंधित नगर निकाय बोर्ड, नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी इस योजना के मासिक अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगे।

9. विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, इस योजना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी होंगे, जो इस दिशानिर्देश में निहित मार्गदर्शन का विडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण देंगे।

10. **<u>प्रचार–प्रसार</u>** :–

सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित कुल घरों के 0.001 प्रतिशत दीवारों पर इस योजना के प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन करेंगे। इसका व्ययभार का वहन नगर निकाय के स्तर पर उपलब्ध नगर निकाय निधि से किया जाएगा। साथ ही साथ नगर निकाय मुख्यालय कार्यालय में एक होर्डिंग लगायी जाएगी।

11. अनुरोध है कि नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

2.3.16

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव